

# फर्द अहकाम


कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

सूचन सं. \_\_\_\_\_ विपक्षी \_\_\_\_\_ नारायणलाल  
 मुकदमा \_\_\_\_\_ 188 P.T. \_\_\_\_\_ पत्रावली संख्या 226/25 सन \_\_\_\_\_

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई


12/08/25  
 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।  
 विपक्षी/रेस्पों. को जरूरी सम्मन/  
 स्टिप्स तलब किये जाकर पत्रावली बाद  
 तलबी दि. 16/9/25 को पेश हो।

  
 सहायक कलक्टर  
 (SDO) मावली

16/9/25  
 पत्रावली पेश हुई। अधि. वाकी/गण डपु.।  
 प्रि.से.। स्वयं डपु.। प्रि.से.। की ओर से अधि.  
 श्री सुरजमल चौहान डार (कालिदास), जवाहराव  
 मय दस्तावेज पेश किये। शि. का. रे.। जवाहराव  
 की नकल दिली गई। पत्रावली वास्ते कायमी  
 तलबीयात दिनांक 25/11/25 को पेश हो। 

कार्यालय

25/11/25  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान रुप.।  
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
 के क्रम में दिनांक 25/11/25 को पेश हो।

28/11/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. उग्र  
 पक्षकारान डपु.। स्व.वा.वे.जान पेश करने  
 का मौका चाहा। पत्रावली वास्ते पेश  
 करने स्व.वा.वे.जान दिनांक 08/01/26 को  
 पेश हो। 



08/01/26

पन्नावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण  
मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता  
वादीगण मय स्वयं वादीगण की बार-बार  
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00PM  
हो चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके  
अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः  
अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण  
अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद  
अहम हाजरी अहम पैरवी में खारिज किया  
जाता है। पन्नावली फ़ैसल शुमार लेकर नम्बर  
से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) मावली